फा.सं. सीडीएन/80/2017-समन्वय
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 18मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का फरवरी, 2019 माह का मासिक सारांश ।

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सम्बन्धित फरवरी, 2019 माह के मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग की हिन्दी प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है । इसका अँग्रेजी संस्करण इस कार्यालय के दिनांक 12.03.2019 के सम - संख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा पहले ही परिचालित किया जा चुका हैं।

जोसफ
(वी.टी. जोसफ)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23381970

अनुलग्नक: यथोक्त

वितरण: मंत्री परिषद के सभी सदस्य

प्रति अनुलग्नक सहित निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, नीति आयोग ।
2. भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सचिव ।
3. भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति के सचिव ।
4. मंत्रीमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन (श्री भास्कर दासगुप्ता, निदेशक) ।
5. प्रधानमंत्री कार्यालय (श्री राजेन्द्र कुमार, निदेशक) ।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
7. प्रधान महानिदेशक (एम एण्ड सी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।
8. भारत सरकार के सभी सचिव ।
9. म.बा.वि. मंत्री/राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
10. जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये ।

<u>महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंध में फरवरी, 2019 माह की मासिक सारांश रिपोर्ट</u>

फरवरी, 2019 को समाप्त माह के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कान्फ्रैंस बठक

आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों (वीसी)/व्यय विवरणों (एसओई), स्वच्छता कार्य योजना, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों (एडबल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को उपलब्ध बीमा योजनाओं (अर्थात पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एकेबीवाई आदि) के अंतर्गत बीमा दावा निपटारा, डब्ल्यूबीएनपी के अंतर्गत 2019-20 की अनाज संबंधी मांगों आदि की समीक्षा करने के लिए दिनांक 8 फरवरी 2019 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कान्फ्रैंस बैठक का आयोजन किया गया ।

2. विश्व खाद्य कार्यक्रम

खाद्य तथा मंत्रालय की योजनाओं पर इसकी भूमिका की सम्पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए दिनांक 22 फरवरी, 2019 को सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) तथा सम्बंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया ।

3. वौइस फॉर चाइल्ड राइट, ओडिशा (वीसी रओ) द्वारा योजित "पस्ती उत्सव"

फरवरी, 2019 माह के दौरान, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सीएफएनईवी, भुवनेश्वर ने गुरूकेलू चरण मोहपात्रा उडीसी रिसर्च केन्द्र, चन्द्रशेखरपुर भुवनेश्वर में दिनांक 13-2-2019 को बाल अधिकार एवं आप (सीआरवाई) की सहायता से वौइस फार चाइल्ड राइट, ओडिसा (वीसीआरओ) द्वारा आयोजित "पस्ती उत्सव" में भाग लिया था। इस प्रदर्शनी में, पोषाहारीय व्यंजनों जैसे (संतुलित खानपान, गर्भावस्था के दौरान खानपान, लौह तत्व से युक्त भोजन, दूध छुड़ाने वाला भोजन, प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां आदि), पैनलों और पोस्टरों का प्रदर्शन किया था। आगन्तुकों के बीच आईईसी सामग्री का वितरण किया गया था। पोषण से संबंधित व्याख्यान भी दिए गए । लगभग 103 लोगों ने इस स्टाल का दौरा किया ।

4. "उभरता हु पूर्वोतर"

सीएफएनईयू, गुवाहाटी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यकलापों पर प्रकाश डालने के लिए मनिनाम दिवान ट्रेड सैंटर, बेरकुची, गुवाहाटी में दिनांक 20 से 22 फरवरी 2019 तक भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ द्वारा निपसिड, गुवाहटी के सहयोग से आयोजित "उभरता हुआ पूर्वोतर" कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रदर्शनी में, पोषाहारीय व्यंजनों (संतुलित भोजन, गर्भावास्था के दौरान भोजन, लौह तत्व से युक्त भोजन, दूध छुड़ाने वाला भोजन, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां आदि), पैनलों और पोस्टरों जैसी वस्तुओं का प्रदर्शन किया। इसमें पोषण से संबंधित व्याख्यान भी दिए गए थे। लगभग 1500 लोगों ने इस स्टाल का दौरा किया।

5. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन**

- विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परस्पर बातचीत और वार्ता के लिए नियमित आधार पर वीडियो कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है।
- मंत्रालय द्वारा ई-ऑफिस का कार्यान्वयन पूर्ण रूप से करने के कारण सरकारी खर्च की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में अंतर-मंत्रालयी पत्रादि ई-मेल के माध्यम से भेजे जाते हैं।
- सभी नीतियां/कार्यक्रम/योजनाएं/अधिनियम/मंजूरियां आदि पणधारियों द्वारा आसान पहुंच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में लाई जाती हैं।

****